संख्या-419/2017/2160/22-2-2016-17(413)/2016

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 13 जून, 2017***

विषय:- जिला कारागार, गाजियाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अब्दुल रब पुत्र मौ0 तकी, निवासी-जनपद-गाजियाबाद वर्तमान हापुड की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34860/प्रोबेशन-3/(एम-06-09-2016) दिनांक-26-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, गाजियाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अब्दुल रब पुत्र मौ0 तकी, निवासी-ग्राम असौड़ा, थाना-हापुड, जनपद-गाजियाबाद वर्तमान जनपद-हापुड का रहने वाला है। पुरानी रंजिश में दिनांक 09;06;1983 को दिन में 03:45 बजे बन्दी द्वारा 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर हापुड बस स्टैण्ड के पास विपक्षी पार्टी के एक व्यक्ति सतपाल की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-430/1983 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 148, 147 के अन्तर्गत मा0 पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, मेरठ के आदेश दिनांक 07.11.1985 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध बन्दी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में क्रि0 अपील सं0-3089/1985 योजित की गयी। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.05.2005 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा गया। मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 23.09.2005 द्वारा अपील को निरस्त करते हुए आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा गया। बन्दी के 02 सहअभियुक्त मा0 न्यायालय द्वारा दोषमुक्त, 01 सहअभियुक्त की मृत्यु हो चुकी एवं 02 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। बन्दी द्वारा दिनांक 28.06.2016 तक 14 वर्ष 11 माह 19 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 07 माह 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकने, बन्दी पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में उल्लेख किया गया है कि बन्दी द्वारा पुरानी रंजिश में 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर हापुड बस स्टैण्ड के पास विपक्षी पार्टी के एक व्यक्ति सतपाल की चाकुओं से गोदकर निर्दयता पूर्वक हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 65 वर्ष है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ ही पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं है। इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हापुड द्वारा अतिरिक्त 05 बिन्दु की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी अब्दुल रब पुत्र श्री मौ0 तकी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

की संस्तुति नहीं की गयी है तथा सक्षम स्तर पर यह पाया गया कि बन्दी के 02 सहअभियुक्त अभी जेल में है तथा प्रोबेशन बोर्ड द्वारा रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। अतः समयपूर्व रिहाई का औचित्य स्थापित नहीं होता है।

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी अब्दुल रब (बन्दी संख्या-21437/2005) पुत्र मौ0 तकी निवासी जनपद-गाजियाबाद वर्तमान-हापुड़ के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।
(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-419/2017/2160(1)/22-2-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हापुड़।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-419/2017/2160/22-2-2016-17(413)/2016

दिनांक 13 जून, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

जिला कारागार, गाजियाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अब्दुल रब पुत्र मौ0 तकी, निवासी-ग्राम असौड़ा, थाना-हापुड़, जनपद-गाजियाबाद वर्तमान जनपद-हापुड़ का रहने वाला है। पुरानी रंजिश में दिनांक 09;06;1983 को दिन में 03:45 बजे बन्दी द्वारा 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर हापुड़ बस स्टैण्ड के पास विपक्षी पार्टी के एक व्यक्ति सतपाल की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-430/1983 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 148, 147 के अन्तर्गत मा0 पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, मेरठ के आदेश दिनांक 07.11.1985 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध बन्दी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में क्रि0 अपील सं0-3089/1985 योजित की गयी। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.05.2005 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा गया। मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 23.09.2005 द्वारा अपील को निरस्त करते हुए आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा गया। बन्दी के 02 सहअभियुक्त मा0 न्यायालय द्वारा दोषमुक्त, 01 सहअभियुक्त की मृत्यु हो चुकी एवं 02 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। बन्दी द्वारा दिनांक 28.06.2016 तक 14 वर्ष 11 माह 19 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 07 माह 06 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकने, बन्दी पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में उल्लेख किया गया है कि बन्दी द्वारा पुरानी रंजिश में 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर हापुड़ बस स्टैण्ड के पास विपक्षी पार्टी के एक व्यक्ति सतपाल की चाकुओं से गोदकर निर्दयता पूर्वक हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 65 वर्ष है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ ही पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं है। इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हापुड द्वारा अतिरिक्त 05 बिन्दु की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी अब्दुल रब पुत्र श्री मौ0 तकी को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है तथा सक्षम स्तर पर यह पाया गया कि बन्दी के 02 सहअभियुक्त अभी जेल में है तथा प्रोबेशन बोर्ड द्वारा रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। अत: समयपूर्व रिहाई का औचित्य स्थापित नहीं होता है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in